अध्याय- III

राज्य आबकारी

अध्याय-III

राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों[1] में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 22 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती आबकारी शुल्कों एवं सम्बंधित करों के उद्ग्रहण / संग्रहण का अनुश्रवण तथा नियमन करने के लिए की जाती है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस प्राप्तियों आदि से सम्बंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹12.13 करोड़ से निहित 55 मामलों में आबकारी शुल्क/ लाइसेंस फीस/ ब्याज/ शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की अवसूली/अल्पवसूली उद्घाटित हुई जो निम्नवत् **तालिका 3.1** के अन्तर्गत आती हैं।

तालिका 3.1

₹ करोड़

क्रमांक	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क की अवसूली / अल्प वसूली	06	0.87
2	लाइसेंस फीस/ ब्याज/ शास्ति की अवसूली/ अल्प वसूली	36	9.61
3	अन्य अनियमितताएं	13	1.65
योग		**55**	**12.13**

वर्ष के दौरान विभाग ने 37 मामलों में ₹1.44 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था जिनमें से वर्ष 2013-14 के दौरान 30 मामलों में ₹61.01 लाख की राशि वसूल की गई थी।

₹4.28 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

[1] दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगड़ा तथा ऊना) तथा केन्द्रीय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)

3.3 न्यूनतम गारंटीड कोटा के कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 4.3 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक विक्रेता के लिए निर्धारित न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाना अपेक्षित होगा। ऐसा न करने पर उसे न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की अदायगी भी करनी होगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम गारंटीड कोटा के 80 प्रतिशत से कम की शराब की मात्रा को उठाने पर लाइसेंसधारी द्वारा शेष मात्रा पर ₹20 प्रति प्रूफ लीटर की अतिरिक्त फीस की अदायगी की जाएगी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/ आबकारी एवं कराधान अधिकारी प्रत्येक मास न्यूनतम गारंटीड कोटे की स्थिति की समीक्षा करेगा और यदि लाइसेंसधारी 15 मार्च तक न्यूनतम गारंटीड कोटे का 80 प्रतिशत उठाने में असमर्थ है, तो वह अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली प्रारम्भ करेगा।

मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य सात सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्टरों[2] की नमूना जांच में पाया कि 931 विक्रेताओं में से 237 विक्रेताओं[3] के लाइसेंसधारियों ने 38,07,188.43 प्रूफ लीटर के न्यूनतम गारंटीड कोटे के प्रति 25,53,458.34 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जो 2012-13 के दौरान विभाग के द्वारा निर्धारित किये गए न्यूनतम गारंटीड कोटे 80 प्रतिशत (30,45,750.74 प्रूफ लीटर) से कम थी। इसके फलस्वरूप 4,92,292.40 प्रूफ लीटर कम उठाई जिसके लिए ₹98.46 लाख यद्यपि देय थे, किन्तु सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा नहीं मांगे गए थे। यह त्रुटि आबकारी एवं कराधान आयुक्त जिसे विवरणियों के साथ 'वार्षिक उठाई गई तथा उपयोग की गई विवरणीयाँ' प्रस्तुत की गई थी, के ध्यान में भी नहीं आई।

इसे इंगित करने पर (मई 2013 तथा मार्च 2014) आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि 91 विक्रेताओं के लाइसेंसधारियों से पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[4] द्वारा ₹98.46 लाख में से ₹23.58 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनसे उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.4 एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण निर्धारित फीस की वसूली न करना

वर्ष 2012-13 के लिए आबकारी घोषणा के परिच्छेद 6.10 में प्रावधान है कि देसी शराब के संभरकों को निर्धारित लाइसेंस फीस की अदायगी करके प्रत्येक जिला में उन्हें आवंटित किये गए एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोलने अपेक्षित थे। नियमों में आगे प्रावधान है कि वर्ष 2012-13 के लिए एल-13 की वार्षिक लाइसेंस फीस ₹2,00,000 निर्धारित की गई थी।

नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[5] के एल-13 विक्रेताओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि देसी शराब निर्माण में लगे छः लाइसेंसधारियों ने

---

2 मास के दौरान बिक्री के लिए भारत में बनाई गई विदेशी शराब तथा देशी शराब सहित विदेशी स्पिरिट की मात्रा, देय अथवा वसूल की गई अतिरिक्त लाइसेंस फीस दर्शाता एक रजिस्टर

3 बी.बी.एन. स्थित बद्दी: पांच विक्रेता, कुल्लू: एक विक्रेता, मण्डी: 33 विक्रेता, शिमला: 128 विक्रेता, सिरमौर स्थित नाहन: एक विक्रेता, सोलन: 20 विक्रेता तथा ऊना: 49 विक्रेता

4 बी.बी.एन. स्थित बद्दी: तीन बिक्री केन्द्र: ₹4.79 लाख, कुल्लू: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.92 लाख, शिमला: 65 बिक्री केन्द्र: ₹17.18 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.53 लाख तथा सोलन: 2 बिक्री केन्द्र: ₹0.16 लाख

5 बी.बी.एन. स्थित बद्दी: दो लाइसेंसधारी, मण्डी: एक लाइसेंसधारी तथा सिरमौर स्थित नाहन: तीन लाइसेंसधारी

उनको आवंटित छः जिलों में एल-13 बिक्री केन्द्र नहीं खोले थे। अतः वर्ष 2012-13 के दौरान ग्यारह बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण लाइसेंसधारियों से ₹22.00 लाख की नियत फीस की वसूली की जानी थी। इसकी विभाग द्वारा न तो मांग की गई और न ही संभरकों द्वारा इसे जमा करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹22.00 लाख की नियत फीस की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित करने (नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि ₹22.00 लाख में से ₹6.00 लाख की राशि बद्दी तथा सिरमौर के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा दो लाइसेंसधारियों से वसूल की गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। वसूली का आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.5 बंधपत्र के प्रावधानों को लागू न करना

हिमाचल प्रदेश बंधक मालगोदाम नियमावली, 1987 के नियम 21 से 23 में प्रावधान है कि एक मालगोदाम से शराब बंधपत्र के अंतर्गत अथवा राज्य में अथवा राज्य के बाहर शुल्क की अदायगी करके उठाई जा सकती है। यदि बंधपत्र के अंतर्गत शराब जारी की जाती है तो लाइसेंसधारी एक विशेष स्थान अथवा गंतव्य पर स्पिरिट का वितरण करने के लिए फार्म एल-37 में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा बंधपत्र को विमुक्त करने से पूर्व ऐसा करने का एक प्रमाण फार्म एल-38 में प्रस्तुत करेगा। विभाग द्वारा नवम्बर 1965 में जारी की गई अधिसूचना में प्रावधान है कि यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जब तक चूक के संदर्भ में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, तो समाहर्त्ता प्रबंधक को प्रेषित माल के संदर्भ में उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र में उल्लिखित राशि जमा करवाने के लिए कहेगा।

नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[6] के एल-38 रजिस्टरों[7] की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि फार्म एल-37 में एक बंधपत्र का निष्पादन करने पर एक आसवनी तथा दो मद्यनिर्माणशालाओं[8] के पक्ष में भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 2,025 प्रूफ लीटर के प्राधिकृत निर्यात की दो संस्वीकृतियां, बीयर की 77,256 बल्क लीटर की 18 संस्वीकृतियां तथा एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल की 40,000 बल्क लीटर की दो संस्वीकृतियां प्रदान की गई। लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट समय सीमा में विनिर्दिष्ट गंतव्य पर भारत में बनाई गई विदेशी शराब/ बीयर/ एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल के पहुंचने पर एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने थे, जो जून 2012 तथा मई 2013 में कालातीत हो चुकी थी। उपार्जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने से सम्बंधित समय सीमा यद्यपि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे तथा मार्च 2014 तक बंधपत्र के प्रावधान लागु नहीं किए गए थे। इसके फलस्वरूप ₹17.22 लाख की राशि के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हो पाई।

विभाग तथा सरकार को मामले की सूचना दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दी गई थी;

---

6 बी.बी.एन. स्थित बद्दी, सिरमौर स्थित नाहन तथा ऊना

7 एल-38 विशेष समय सीमा के भीतर विशेष गंतव्य पर भारत में निर्मित विदेशी शराब / बियर के आगम के साक्ष्य का रजिस्टर है

8 मैसर्ज यूनाइटिड स्पिरिट लि., बद्दी, कार्लबर्ग मद्यनिर्माणशाला, टोकियोंन, नाहन तथा रेंजर ब्रुअरीज लि., मेहतपुर

विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को आबकारी शुल्क की वसूली के निर्देश दिये गए थे (दिसम्बर 2014)।

3.6 लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 4.4 (क) में प्रावधान है कि पूरे वर्ष हेतु प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस पूर्व निर्धारित की जाएगी। इस तरह से निर्धारित की गई लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण बारह मासिक किश्तों में प्रत्येक मास के अंतिम दिन किया जाना अपेक्षित है तथा मार्च मास की अंतिम किश्त की पूर्ण रूप से अदायगी 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 4.5 (ग) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी देय तिथियों को लाइसेंस फीस सहित ब्याज की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो जिले का सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी साधारणत: अनुवर्ती मास के पहले दिन या 16 मार्च जैसा भी मामला हो, बिक्री केन्द्र को सील करेगा।

नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्टरों की नमूना जांच ने दर्शाया कि वर्ष 2012-13 के लिए 128 बिक्री केन्द्रों में से 24 बिक्री केन्द्रों[9] के लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस के रूप में ₹9.35 करोड़ की वसूली योग्य राशि के प्रति मात्र ₹7.60 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने लाइसेंस फीस की शेष राशि की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके फलस्वरूप ₹1.75 करोड़ की राशि की लाइसेंस फीस की अल्प वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य), आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि सिरमौर स्थित नाहन तथा ऊना के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के सम्बंध में ₹1.75 करोड़ में से ₹1.59 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.7 लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 4.4 (घ) में प्रावधान है कि प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किश्तों की प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक अदायगी की जानी अपेक्षित है तथा मार्च मास की अंतिम किश्त की पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 4.5 (क) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य छ: कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्टरों की नमूना जांच ने दर्शाया कि वर्ष 2011-13 के लिए विलंबित (अप्रैल 2011 तथा

[9] सिरमौर स्थित नाहन: चार बिक्री केन्द्र तथा ऊना: 20 बिक्री केन्द्र

मई 2013 के मध्य) ₹38.03 करोड़ की लाइसेंस फीस 877 बिक्री केन्द्रों में से 147 बिक्री केन्द्रों[10] के लासेंसधारियों ने जमा करवाई थी। यह विलंब चार से 276 दिनों का था। अत: वे विलंबित अदायगियों पर ₹67.32 लाख का ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उक्त का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹67.32 लाख की राशि के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात (मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य), सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू ने बताया कि बिक्री केन्द्र के लाइसेंसधारियों को देय राशि जमा करवाने के निर्देश दिये जा रहे थे जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया कि मामलों की संवीक्षा के पश्चात अधिनियमों/ नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किये थे।

सरकार को मामला मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.8 बोतलीकरण लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में प्रतिपादित है कि लाइसेंसधारियों द्वारा बोतलीकृत देसी शराब/ भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिली लीटर की इकाइयों पर लाइसेंसधारी निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस की अदायगी करेगा। ये फीस लाइसेंसधारी द्वारा त्रैमासिक रूप से प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के सात दिनों के भीतर अदा की जाएगी। आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 5.1 (26) (iii) - (ii) तथा (iii) में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश में आसवनी एवं बोतलीकरण संयंत्रों का लाइसेंसधारी हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर स्थित आसवनियों एवं बोतलीकरण संयंत्रों की भारत में बनी विदेशी शराब के ब्रांडों के बोतलीकरण पर फ्रेंचाइजी फीस का भी भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि बोतलीकरण लाइसेंस फीस के लिए ₹20.18 लाख की वसूली योग्य राशि के प्रति 2012-13 के दौरान दो लाइसेंसधारियों से मात्र ₹11.27 लाख की राशि ही वसूल की गई थी। विभाग द्वारा शेष बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली के लिए कदम नहीं उठाए गए थे। इसके फलस्वरूप ₹8.91 लाख की बोतलीकरण लाइसेंस फीस की अल्प वसूली हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हए हैं (दिसम्बर 2014)।

---

[10] सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बिलासपुर: 17 बिक्री केन्द्र, कुल्लू: 20 बिक्री केन्द्र, मण्डी: आठ बिक्री केन्द्र, शिमला: 10 बिक्री केन्द्र, सिरमौर स्थित नाहन: 26 बिक्री केन्द्र तथा ऊना: 66 बिक्री केन्द्र

[11] मण्डी तथा सिरमौर स्थित नाहन

3.9 आसवनी / बंधक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी आसवनी के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्थापना स्टाफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो लाइसेंसधारी आसवनी में तैनात सरकारी आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन के संदर्भ में मांगी गई राशि सरकारी खजाने में जमा कराएगा, किन्तु वह ऐसे स्थापना स्टाफ के किसी सदस्य को सीधी अदायगी नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दो मद्यनिर्माणशालाओं तथा चार आसवनियों सहित तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[12] के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा पाया कि लाइसेंसधारियों से आसवनियों/ मद्यनिर्माणशालाओं/ बंधक मालगोदामों मे तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ की 2010-11 तथा 2012-13 के मध्य की अवधि के लिए वेतन की ₹38.77 लाख की राशि की देयताओं की अदायगी नहीं की गई थी, बावजूद इसके कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने के नाते सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों का पता था। उन्होंने इन मांगों को उठाने तथा सरकारी देयताओं का संग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार लाइसेंसधारियों से आबकारी स्थापना के सम्बंध में वेतन की मांग न करने से सरकार ने अपने को ₹38.77 लाख[13] की वसूली योग्य देयताओं से वंचित रखा।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को राशि शीघ्रता से वसूल करने के निर्देश दिये जा चुके थे।

सरकार को मामला जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

---

12 हमीरपुर, सिरमौर स्थित नाहन तथा ऊना

13 हमीरपुर (₹16.17 लाख), सिरमौर (₹14.11 लाख) तथा ऊना (₹8.49 लाख)